अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

एफ25(डी)13/लेखा/आ. नि./आकाशि/2016/ 3899-3903 दिनांक 27/08/19

समस्त सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान
(संलग्न सूची अनुसार)

विषय :— आयुक्तालय में निरीक्षण प्रतिवेदनों (महालेखाकार, निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों) के बकाया आक्षेपों की अनुपालना हेतु कैम्प का आयोजन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्तालय में महालेखाकार, निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना शीघ्र भिजवाने हेतु पूर्व मे आपको कई बार लिखा जा चुका है किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि महाविद्यालयों की पूर्व की निरीक्षण प्रतिवेदनो के बकाया आक्षेपों की अनुपालना अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा नहीं भिजवायी गई है। इस संबंध मे बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण की धीमी गति को उच्च स्तर पर अधिकारियों द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों के महालेखाकार, निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की ठोस एवं पूर्ण अनुपालना महाविद्यालय स्तर से तैयार करवाई जाकर निम्न समय सारणी के अनुसार आयुक्तालय में आयोजित कैम्प में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित की जावें ताकि अनुपालनाओं के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में अतिशीघ्र कार्यवाही की जा सके। जिसका कार्यक्रम संलग्न हैं।

अतः इस संबंध में यह भी लेख हैं कि आपके महाविद्यालय से संबंधित महालेखाकार, निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच एवं भौतिक सत्यापन बकाया प्रतिवेदनों की प्रति के साथ बकाया आक्षेपों की ठोस एवं पूर्ण अनुपालना (मय संलग्नक प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित) दो प्रतियों में तैयार कर महाविद्यालय में पदस्थापित/अतिरिक्त कार्यभार वाले सहायक लेखाधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक के साथ व्यक्तिगत उक्त संलग्न कार्यक्रम के अनुसार भिजवाने की व्यवस्था करावें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्न :— 1. निर्धारित प्रारुप — 2
2. कार्यक्रम — 1

-Sd-
(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा
एवं विशिष्ट शासन सचिव उच्च शिक्षा
राजस्थान, जयपुर

एफ25(डी)13/लेखा/आ. नि./आकाशि/2016/3899-3903 दिनांक 27/08/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. प्रधान महालेखाकार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कैम्प में अपना प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करें।
2. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कैम्प में अपना प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करें।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (HRD / PI / P&C / Adm. / DDO) आयुक्तालय भी उनकी शाखा से सम्बन्धित लम्बित आक्षेपो की अनुपालनाऐं निर्धारित प्रारुप में भिजवायें।
5. लेखाधिकारी (अंकेक्षण) कैम्प प्रभारी रहेंगी तथा महालेखाकार व निरीक्षण विभाग के आक्षेपों का नियंत्रण रजिस्टर भी संधारित करावें।
6. सहायक लेखाधिकारी–1 सम्बन्धित महाविद्यालय अंकेक्षण आक्षेपों की अनुपालना प्राथमिकता से तैयार कर भिजवाये।
7. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(एन. एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

कार्यक्रम (Programme)

क्र.सं.	दिनांक व समय (प्रातः 10.30 बजे)	महाविद्यालय का नाम
1	16.09.2019	बाडमेर (कन्या बालोतरा, बालोतरा, शिवाना, गुडामलानी, बाडमेर, बायतु, कन्या बाडमेर, चोहटन, सेउ) बूंदी (बूंदी, कन्या बूंदी, विधि बूंदी)
2	17.09.2019	बांरा (कन्या बांरा, बांरा, छबडा, मंगरोल, केलवाडा, अन्ता, अटरू) बांसवाडा (बांसवाडा, कन्या बांसवाडा, कुशलगढ)
3	18.09.2019	चूरू (चूरू, रतनगढ, सुजानगढ, तारानगर, सरदार शहर, कन्या चूरू, विधि चूरू, राजगढ, बिदासर, कन्या रतनगढ,)
4	19.09.2019	धौलपुर (धौलपुर, लॉ धौलपुर, कन्या धौलपुर, राजाखेडा, बाडी, बसेडी) हनुमानगढ (हनुमानगढ, नोहर, भडारा)
5	20.09.2019	जालोर (जालोर, भीनमाल, आहोर, रानीवाडा) जैसलमेर (कन्या जैसलमेर, जैसलमेर, पोकरण, कन्या पोकरण)
6	23.09.2019	झालावाड (कन्या झालावाड, झालावाड मनोहरथाना, भवानीमण्डी, पिडावा, चोमहला, विधि झालावाड, खानपुर) करोली (हिण्डोनसिटी, नादौती, टोडाभीम, सपोटरा, करोली, कन्या करोली)
7	24.09.2019	डूंगरपुर (सांगवाडा, डूंगरपुर, कन्या डूंगरपुर, सिम्बलवाडा, बिच्छीवाडा) नागौर (डेगाना, डिडवाना, जायल, नागौर, विधि नागौर, खिवसर, मेडतासिटी, कन्या नागौर, मंगलाना)
8	25.09.2019	प्रतापगढ (धरीयावाद, प्रतापगढ, छोटी सादडी,) राजसमन्द (कन्या नाथद्वारा, नाथद्वारा, भीम, राजसमन्द, देवगढ, आमेट, कन्या राजसमन्द, कुंभलगढ))
9	26.09.2019	सवाई माधोपुर (कन्या सवाई माधोपुर, खण्डार, बामनवास, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी) सिरोही (कन्या सिरोही, शिवगंज, आबूरोड, विधि सिरोही, सिरोही, पिण्डवाडा, रेवदर)
10	27.09.2019	चित्तौडगढ (कपासन, कन्या चित्तौडगढ, रातवभाटा, मण्डपिया, बडीसादडी, बेगू चित्तौडगढ, निम्बाहेडा) उदयपुर (सराडा, खेरवाडा, सलूम्बर, कन्या खेरवाडा)

विशेष सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रारुप

महाविद्यालय का नाम ....

आन्तरिक निरीक्षण / भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संख्या .... अवधि ....से ....

क्र. सं	आक्षेप संख्या	आक्षेप का संक्षिप्त विवरण	महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुपालना	आयुक्तालय की टिप्पणी	निरीक्षण विभाग की टिप्पणी

प्रारुप

महाविद्यालय का नाम ....

महालेखाकार प्रतिवेदन संख्या .... अवधि ....से ....

क्र. सं	आक्षेप संख्या	आक्षेप का संक्षिप्त विवरण	महाविद्यालय द्वारा की गयी अनुपालना	आयुक्तालय की टिप्पणी	महालेखाकार की टिप्पणी